संख्या-3/2023/03/35-3-2023

प्रेषक,

रामप्रीत राम,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक,
गिरि विकास अध्ययन संस्थान,
उ0प्र0, लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः**05** जनवरी, 2023

विषयः – वित्तीय वर्ष 2021-22 में गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ की स्थायी निधि (कार्पस फन्ड) से अर्जित ब्याज में पूंजीगत एवं राजस्व मदों हेतु धनराशि के आहरण एवं व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-जीआईडीएस/1102/2022 दिनांक 01.12.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ की स्थायी निधि (कार्पस फन्ड) में विगत वर्ष 2021-22 में अर्जित ब्याज रू0 14,37,539/- के 2/3 भाग रू0 9,58,359/- के 1/2 भाग रू0 4.75 लाख का नियमानुसार राजस्व तथा 1/2 भाग रू0 4.75 लाख का नियमानुसार पूंजीगत व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में किया जायेगा। अतएव गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ की स्थायी निधि (कार्पस फन्ड) पर अर्जित ब्याज से राजस्व व्यय हेतु रू0 4.75 लाख तथा पूंजीगत व्यय हेतु रू0 4.75 लाख (कुल रू0 9.50 लाख) (रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ की स्थायी निधि (कार्पस फन्ड) सलाहकार समिति द्वारा अनुमोदित तथा शासी मण्डल द्वारा स्वीकृति निम्नलिखित पूंजीगत एवं राजस्व मदों हेतु आहरण की अनुमति एतदद्वारा प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	**राजस्व व्यय**	**धनराशि (लाख रू0 में)**
1	पुस्तकालय में जर्नल्स/ई-जर्नल्स/पीरियडीकल्स हेतु फीस (सब्सक्रिप्सन)	3.00
2	राष्ट्रीय स्तर के वार्षिक सेमिनार/कॉन्फ्रेन्स/कार्यशालाओं/व्याख्यानमालाओं के आयोजन हेतु	1.50
3	विशिष्ट विद्वानों के अधिकतम 5 व्याख्यानों के आयोजन हेतु	0.25
	योग	**4.75**

क्र0सं0	**पूंजीगत व्यय**	**धनराशि (लाख रू0 में)**
1	फोटोकापियन मशीन के क्रय हेतु	0.75
2	कम्प्यूटर, प्रिंटर तथा यू0पी0एस0 के क्रय हेतु	3.00
3	एण्टी वायरस साफ्टवेयर के क्रय हेतु	0.50
4	पुस्तकालय की पुस्तकों के क्रय पर व्यय	0.50
	योग	**4.75**
	कुल योग	**9.50 (रू0 नौ लाख पचास हजार मात्र)**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शर्तें एवं प्रतिबन्ध-

क- उपर्युक्त आहरित धनराशि का व्यय स्थायी निधि संचालन नियमावली, 1999 के प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

ख- स्थायी निधि नियमावली के नियम 14 एवं 15 की व्यवस्था के अनुसार मदवार व्यय के संबंध में संस्थान के निदेशक मण्डल एवं स्थायी निधि सलाहकार समिति का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

ग- शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु बैंक से उतनी ही धनराशि आहरित की जायेगी, जिसके भुगतान की तात्कालिक आवश्यकता हो।

घ- उक्त धनराशि का जिन कार्यक्रमों/गतिविधियों पर व्यय किया जायेगा, उनकी प्रगति एवं मदवार व्यय की रिपोर्ट प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही संस्थान के निदेशक द्वारा तैयार की गयी वर्ष भर की शैक्षणिक कार्यक्रमों की रूपरेखा 31 मार्च 2023 तक शासन को उपलब्ध करा दी जायेगी।

ड़- उपकरणों को क्रय करते समय स्टोर परचेज रूल्स तथा शासन द्वारा समय-समय पर प्रसारित आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

च- उपभोग की गयी धनराशि का का उपभोग प्रमाण-पत्र स्थायी निधि नियमावली, 1999 के नियम-8 के प्राविधानों के अनुसार शासन को उपलब्ध कराया जायेगा एवं उसकी एक प्रति निदेशक, अर्थ एवं संख्या को भी प्रेषित की जायेगी।

छ- उक्त धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यक्रमों/मदों पर किया जायेगा, जो अन्य किसी स्त्रोत से प्रेषित न हो अर्थात किसी प्रकार की द्विवरावृत्ति (Duplicacy) न हो।

भवदीय,

(रामप्रीत राम)
उप सचिव।

संख्या: 3/2023/03 (1)/35-3-2023/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकारउत्तर प्रदेश (लेखा एवं हकदारी), इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम व द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. वरिष्ठ आडिट आफीसरआडिटर प्लानिंग कार्यालय (महालेखाकार लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन,15
4. थार्नहिल रोड इलाहाबाद।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
6. मुख्य कोषाधिकारी,लखनऊ।
7. निदेशक,अर्थ एवं संख्या,लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामप्रीत राम)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।